राष्ट्रीय सेवा योजना
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्रो0सुशील कुमार गौतम
कार्यक्रम समन्वयक

मो0न0 9839147742

पत्रांक सख्या/ 1417/रा0से0यो0म0गां0का0वि0पी0 वाराणसी

दिनांक 23.02.2018

सेवा

प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी
समस्त महाविद्यालय

विषय : पी0एफ0एम0एस0 एवं ई0ए0टी0 माड्यूल के अर्न्तगत पंजीकरण सबधी।

महोदय /महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त पत्र सं0सी0 2/एन0 एस0एस0/डी0टी0ई0 /2016/1967–1971 दिनांक 09 फरवरी 2018 एवं डॉ0अशोक कुमार श्रोती,क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार,युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना,क्षेत्रीय निदेशालय हाल नम्बर 1,आठवां तल,केन्दीय भवन,सेक्टर–एच0,अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या0–04–121/रा0से0यो0 /क्षे0नि0/लख/2017–2018 दिनांक 16.02.2018 (प्रति संलग्न) जो स्वतः स्पष्ट है आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त विषय पर अपना व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने की सभी इकाईयों को पी0एफ0एम0एस0 एवं ई0ए0टी0माड्यूल के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने की कार्यवाही बिना विलम्ब किए सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक द्वारा फंड के स्थानांतरण के लिए PFMS & EAT के माध्यम को अनिवार्य कर दिया है यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि धनराशि के निर्गमन और समस्त स्तरों तक उसकी पहुच की ट्रैकिंग और मानीटरिंग की जाए।

इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में एन0एस0एस0 की अतिम इकाई (राज्य सरकार विश्वविद्यालय, कालेज एवं संस्था) वाली एजेंसियो के लिए यह आवश्यक है की वे स्वंय को PFMS & EAT माड्यूल के अतर्गत पंजीकृत कर लें । सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि जब तक फंड के उपयोग वाली अंतिम इकाई का PFMS & EAT माड्यूल के अतर्गत पंजीकरण न हो जाए तब तक फंड नही निर्गत किया जाएगा। इस क्रम में डॉ0अंशुमालि शर्मा ,राज्य एन0एस0एस0 अधिकारी का पत्र सख्या –33 संत्तर –रा0से0यो0को0 2018 दिनाक 12 फरवरी 2018 उल्लेखनीय है कि जिसेमे रा0से0यो0 के समसम प्राचार्य/प्राचार्या/ कार्यक्रम अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय को दिनांक 28.02.2018 तक उपलब्ध करने का कष्ट करें और पंजीकरण नही करने वाले महाविद्यालय को अनुदान जारी नही हो पायेगा इसकि जिमेदारी महाविद्यालय के पाचार्य/ कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

अत : आपसे अनुरोध है कि विषय को गभीरता के दृष्टिगत प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी अपने रा0से0यो0 यूनिटों को यथाशीघ्र को केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत फंड का उपायोग करने वाली इकाईयो के अंतिम स्तर तक PFMS & EAT माड्यूल के अतर्गत पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाने हेतु प्रेषित प्रारूप–1 (संलग्न है) से संबंधित सूचना दिनांक 28.02.2018 तक वित्त अधिकारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को उपलब्ध करने का कष्ट करे।

प्रो0 (सुशील कुमार गौतम)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित–

1– वित्तअधिकारी जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।

2– श्री विनोद कुमार प्रभारी–संगणक केन्द्र,रा0से0यो0/विश्वविधालय की वेबसाइट पर अघतन करें।

संलग्न– पारूप–1

प्रारूप–1

P.F.M.S. MANDATE FORM

1.विश्वविद्यालय का नाम ....

2.महाविद्यालय का नाम..

3.महाविद्यालय का पता ....

4.पोस्ट आफिस का पिन कोड नम्बर ....

5.प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी का नाम ....

6.खाता धारक का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....

7.ई–मेल आई0डी0..

BRANCH:-
BANK NAME:-
IFSC:-
MICR :-
BRANCH:-
PRINCIPAL P.H NO :-
BANK A/C N0 :-
BANK A/C N0 :-

प्राचार्य / प्राचार्या
हस्ताक्षर / मुहर

कार्यक्रम अधिकारी
हस्ताक्षर / मुहर

सत्यमेव जयते

दूरभाष : 0522 { 2337066 (टेलीफैक्स)
4079533

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)
राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय
केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं0. 1,
सेक्टर–'एच', अलीगंज, लखनऊ–226024

Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
(Department of Youth Affairs)
Regional Directorate of National Service Scheme
Kendriya Bhawan, 8th Floor, Hall No. 1,
Sector 'H', Aliganj, Lucknow-226024
email : nssrc.lu-up@gov.in
nssrclucknow@yahoo.com

163
22-2-18

04–121 / रा0से0यो0 / क्षे0नि0 / लख / 2017–18 दिनांक: फरवरी 16, 2018

सेवा में ,

समस्त कार्यकम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

NSS
26/2

विषय: पी0एफ0एम0एस0 एवं ई0ए0टी0माड्यूल के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी।

संदर्भ : संयुक्त सचिव ,भारत सरकार युवा कार्यकम एवं खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के डी0ओ0 पत्र सं एल–12015 / 1 / 2015–एनएसएस दिनांक 08.02.2018

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय से संबंधित राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र सं0सी.2 / एनएसएस / डी0टी0ई0 / 2016 / 1967–1971 दिनांक 09 फरवरी, 2018(प्रति संलग्न) जो कि स्वतः स्पष्ट है, आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त विषय पर अपना व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने हेतु सभी इकाइयों को पी0एफ0एम0एस0 एवं ई0ए0टी0माड्यूल के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की कार्यवाही बिना विलम्ब किए सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक द्वारा फंड के स्थानांतरण के लिए PFMS & EAT के माध्यम को अनिवार्य कर दिया है । यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि धनराशि के निर्गमन और समस्त स्तरों तक उसकी पहुंच की ट्रैकिंग और मानीटरिंग की जाए।

इस व्यवस्था को लागू करने के कम में एन0एस0एस0 की अंतिम इकाई (राज्य सरकार,विश्वविद्यालय, कालेज एवं संस्था) वाली एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं को PFMS & EAT माड्यूल के अंतर्गत पंजीकृत कर लें । सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि जब तक फंड के उपयोग वाली अंतिम इकाई का PFMS & EAT माड्यूल के

23/2/18

अंतर्गत पंजीकरण न हो जाए, तब तक फंड नहीं निर्गत किया जाएगा । इस कम में डा0 अंशुमालि शर्मा, राज्य एनएसएस अधिकारी का पत्र संख्या–33/सत्तर–रासेयोको–2018 दिनांक 12 फरवरी, 2018 उल्लेखनीय है । जिसमें रासेयो के समस्त कार्यकम समन्वयकों से अनुरोध किया गया है कि PFMS & EAT माड्यूल के अंतर्गत पंजीकरण हेतु केंद्रीय भवन, पुरनिया, लखनऊ में स्थित PFMS कार्यालय के फोन नंबर– 8114002952–70 एवं ई मेल amit.verma90@nic.in और इस कार्यालय से पंजीकरण संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यायल/कालेज/ संस्थाओं में रासेयो अनुदान से संबंधिल लेखा कार्य करने वाले एवं कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले किन्ही दो व्यक्तियों को केंद्रीय भवन, पुरनिया, लखनऊ में स्थित PFMS कार्यालय द्वारा प्रशिक्षित भी कराया जा सकता है ।

अतः आपसे से अनुरोध है कि विषय की गंभीरता के दृष्टिगत कार्यकम समन्वयक अपने क्षेत्र की रासेयो यूनिटों को यथाशीघ्र केंद्र सरकार द्वारा निर्गत फंड का उपयोग करने वाली सभी इकाइयों/स्तरों तक PFMS & EAT माड्यूल के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा कर प्रगति से संबंधित सूचना इस कार्यालय को अवगत कराएं ।

भवदीय

(डा0ए0के0श्रोती)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपिः
1.निजी सचिव– कुलपति , संबंधित विश्वविद्यालय कार्यकम समन्वयक–रासेयो को आवश्यक निर्देश प्रदान करें ।
2.रजिस्टार–सबंधित विश्वविद्यालय,को ~~इस आशय से प्रेषित कि~~
3. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यकम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली
4.निदेशक–रासेयो, नई दिल्ली.

e-mail
By file—

F. No.C.2/NSS/DTE/2016 /1957-1971
Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
Directorate of NSS
12/11, Jamnagar House, New Delhi- 110011

To

Dated 9th February, 2018

The Regional Directors
All the Regional Directorates of NSS

398 16-2-18

Sub: Registration under PFMS and EAT module-reg.

Sir/Madam,

As you are aware that it has become mandatory that all the state NSS Cells, Universities/Colleges and Schools to whom the money from the Govt. of India is sent for NSS activities to get registered under PFMS and EAT module. It is found that most of the States have already registered upto University level but there are still many to be registered at the College/Institutional level.

In this regard, I am directed to inform you that the Ministry has taken a serious view on this and expressed that no further NSS grant will be released to those who have not registered under PFMS and EAT module.

It has also been decided that the fund will be given to those new unit who have registered under PFMS & EAT Module and that the old unit who have not registered will be considered SFU but may be reconsidered after getting registered under PFMS & EAT Module provided that there is availability of fund.

All concerned must be registered within 15th March 2018 after which no further grant will be released to them and will be regarded as SFU.

You are therefore requested to follow up the matter & send progress report accordingly

Yours faithfully

(S. K. Basumatary)
Asstt. Prog. Adviser